न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम गणेशीदेवी पत्नी भंवरलाल बनवारी बलवीर वगैरह

प्रा.पत्र नम्बर 275 / 2021 GCMS No.202[illegible]/00361

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
9.11.2021	वकील अप्रार्थी श्री बोदूराम चौधरी द्वारा वकालतनामा मय जवाब प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि उपरोक्त भूमि कृषि प्रयोजन ही काम में आ रही है अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम जिलिया के खसरा नम्बर 525 रकबा 1.23 हैक्टर में किसी प्रकार की आवासीय कॉलोनी नही काटी गई है, अप्रार्थीगण द्वारा जब भी उक्त भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जावेगा तो संपरिवर्तन कराया जाकर ही उपयोग में लिया जावेगा। अतः प्रार्थना–पत्र में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावें। प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थी वकील को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रस्तुत जवाब मय शपथ–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूमि से संबंधित जवाब इत्यादि अनुसार उपरोक्त प्रश्नगत भूमि मौके पर कृषि प्रयोजनार्थ ही उपयोग में ली जा रही है तथा अप्रार्थीगण ने जवाब एवं शपथ पत्र में कथन किया है कि जब भी उक्त भूमि को अकृषि उपयोग में लिया जावेगा तब नियमानुसार संपरिवर्तन कराये जाने के पश्चात ही उपयोग में लिया जावेगा। तथा शपथ–पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि का 2 माह में संपरिवर्तन करवाकर आदेश की प्रति प्रस्तुत कर दी जावेगी। बहस दौरान अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा बताया है कि उन्हे कृषि भूमि में सुधार हेतु बैंक से ऋण प्राप्त करना है तथा पारिवारिक जायज आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु भी ऋण प्राप्त करना है एवं भूमि रूपान्तरण करवाई जानी है, अतः इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरमि अस्थाई निषेधाज्ञा 4.8.2021 को निरस्त करते हुए मूल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाई जाने के आदेश प्रदान करावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज इत्यादि का अवलोकन किया गया, प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय [illegible] में साबित नही होते है, अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एव श[illegible] विश्वास करते हुए कि अप्रार्थीगण भूमि रूपान्तरण [illegible] संपरिवर्तन की प्रति दो माह में ही [illegible] प्रस्तुत कर देगा [illegible] प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 रा[illegible]थान काश्तकारी अ[illegible] 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.01.17 11:38:34 IST
Reason: SelfAttested